भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2572
16 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय- कृषकों द्वारा खाद्यान्न की सामान्य रूप से बोई जाने वाली किस्में
2572. श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्राः
क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार द्वारा देश में, विशेषकर वायनाड संसदीय क्षेत्र में स्वदेशी धान की किस्मों के संरक्षण के लिए पहलें की जा रही हैं;
(ख) क्या सरकार संरक्षण प्रयासों के लिए जनजातीय समुदायों और किसान संगठनों को सहायता प्रदान करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) केरल में वर्ष 2015 से अब तक कृषकों द्वारा खाद्यान्न की सामान्य रूप से बोई जाने वाली किस्मों (वीसीके) और अन्य कृषि किस्मों के लिए जारी प्रमाणपत्रों का जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) वायनाड संसदीय क्षेत्र में पंजीकृत सभी प्रकार की फसलों के लिए विद्यमान वीसीके और कृषि किस्मों का ब्यौरा क्या है,
(ङ) क्या वायनाड संसदीय क्षेत्र में पंजीकृत कुल फसलों में से किसी विद्यमान वीसीके और कृषि किस्म का व्यावसायीकरण किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या केरल में किन्हीं किसानों, समुदायों अथवा संस्थाओं को इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ-साझाकरण भुगतान प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): भारत सरकार, पादप किस्मों और किसानों के अधिकारों के संरक्षण (पीपीवी और एफआर) प्राधिकरण, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (एनबीपीजीआर), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू) के माध्यम से स्वदेशी पादप किस्मों (धान की किस्मों सहित) के संरक्षण के लिए कई पहल कर रही है। इन पहलों में जर्मप्लाज्म संग्रह, लक्षण वर्णन, किसानों की किस्मों का पंजीकरण, सामुदायिक बीज बैंक सहायता और जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्रों में खेत स्तर पर संरक्षण को बढ़ावा देना शामिल है।

पीपीवी एंड एफआर प्राधिकरण ने केरल के वायनाड जिले से किसानों द्वारा विकसित धान की 20 किस्मों को पंजीकृत किया है।
इसके अतिरिक्त, आईसीएआर- अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी) द्वारा वित्त पोषित केरल कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत पट्टाम्बी में क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, राज्य सरकार की योजना निधि के बीज बैंक परियोजना के तहत केरल की स्वदेशी धान की किस्मों का संग्रह, संरक्षण और लक्षण निर्धारण कर रहा है, जो वर्ष 2023 में पूरा हुआ था विशेष रूप से वायनाड जिले पर केंद्रित था।

(ख): पादप किस्मों और किसानों के अधिकारों के संरक्षण (पीपीवी एंड एफआर) प्राधिकरण उन किसानों को पुरस्कार, सम्मान और मान्यता प्रदान करता है जिन्होंने पादप आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण किया है। तदनुसार, अब तक पीपीवी एंड एफआर प्राधिकरण ने कृषि समुदायों को 41 पादप जीनोम रक्षक सामुदायिक पुरस्कार, 67 पादप जीनोम रक्षक किसान पुरस्कार और 84 पादप जीनोम रक्षक किसान मान्यताएं प्रदान की हैं।

इसके अतिरिक्त, जनजातीय किसानों/समुदायों की किस्मों सहित पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण का समर्थन करने के लिए पीपीवी एंड एफआर (पादप आनुवंशिकी संसाधन के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय जीन निधि के उपयोग) नियम, 2025 को अधिसूचित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, सरकार पारंपरिक किस्मों के संरक्षण में लगे जनजातीय समुदायों और किसान समूहों को किस्मों के संरक्षण और पंजीकरण पर क्षमता निर्माण कार्यक्रमों विशेष रूप से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) के तहत बीज घटक आदि के माध्यम से सामुदायिक बीज बैंकों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण में सहायता प्रदान करती है।

वर्ष 2019-2024 के दौरान, केरल कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, पट्टाम्बी ने वायनाड जिले में एआईसीआरपी (बीज फसलें) जनजातीय उपयोजना के माध्यम से संरक्षण प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए जनजातीय समुदायों और किसान संगठनों को बीज, कृषि इनपुट, उपकरण, बीज मिल्स आदि उपलब्ध कराकर सहायता प्रदान की गई है।

(ग): केरल राज्य में वर्ष 2015 से किसानों की किस्म और सूचना की मौजूदा किस्म (वीसीके) की श्रेणियों के तहत पंजीकृत अनाज फसलों का जिलावार विवरण निम्नानुसार है:

क्रं. सं.	**जिलों के नाम**	**पंजीकृत किसानों की संख्या**	**पंजीकृत मौजूदा वीसीके की संख्या**
1	मलप्पुरम	-	1
2	वायनाड	20	-

(घ) एवं (ङ): वायनाड जिले से किसान किस्म और सामान्य सूचना की मौजूदा किस्म (वीसीके) श्रेणियों के अंतर्गत पंजीकृत सभी फसलों का विवरण निम्नानुसार है:

क्रं. सं.	**फसल का नाम**	**पंजीकृत किसानों की किस्मों की संख्या**
1	काली मिर्च	1
2	हल्दी	1
3	चावल	20

(च): आज तक की स्थिति के अनुसार, केरल राज्य में पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण के पास लाभ साझाकरण का कोई दावा नहीं किया गया है।

*****